भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2517
दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन

2517. श्री सुखदेव भगतः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्रदान करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या अक्तूबर, 2023 तक केवल दस करोड़ परिवारों को ही कवर किया गया है, जो लक्ष्य से छह करोड़ कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या वर्ष 2023-24 के लिए पचपन हजार करोड़ रुपये के अच्छे खासे बजट आवंटन के बावजूद स्थापित बुनियादी ढांचे का तीस प्रतिशत से अधिक बुनियादी ढांचा पहले से ही जल गुणवत्ता और स्थिरता संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलुरु और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चिंता जताई है कि मिशन के कार्यान्वयन से अनुमानित उनसठ लाख नब्बे हजार व्यक्ति-वर्ष रोजगार सृजित नहीं हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) उक्त मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और
(च) जल जीवन मिशन के अंतर्गत दीर्घकालिक स्थिरता और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 06.03.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.28 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 06.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.51 करोड़ (80.07%) से अधिक परिवारों को उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 3.85 करोड़ परिवारों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कार्यपरिपूर्णता योजना के अनुसार निर्माण कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर, एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से, मिशन के तहत प्रदान किए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का वार्षिक मूल्यांकन कराता है। कार्यशीलता मूल्यांकन 2022 के दौरान, महाराष्ट्र में यह पाया गया कि 86% परिवारों (एचएच) के पास कार्यशील नल कनेक्शन थे। इनमें से 85% को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो रहा था, 80% को उनकी पाइपगत जल आपूर्ति स्कीम की जलापूर्ति अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से जल प्राप्त हो रहा था और 87% परिवारों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार जल प्राप्त हो रहा था। कार्यक्षमता मूल्यांकन 2022 की एक प्रति पब्लिक डोमेन में है और इसे https://jaljeevanmission.gov.in/functionality-reports पर एक्सेस किया जा सकता है।

(घ) से (च): ग्राम स्थित जलापूर्ति अवसंरचना के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, जल संसाधन प्रबंधन, स्रोत सुदृढ़ीकरण/संवर्धन, वितरण नेटवर्क, शोधन संयंत्र आदि, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, जल आपूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए सामग्री की खरीद हुई है, जिससे पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर रोजगार पैदा हुआ है, विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, इस प्रकार, अर्थव्यवस्था और लंबे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में 'जीवन की सुगमता' को बढ़ाया जा सकेगा।

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य नल जल आपूर्ति कर ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। देश भर में मिशन के प्राथमिकता के कार्यान्वयन के साथ, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा सकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

i. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अनुमान लगाया है कि जेजेएम के तहत कार्यपरिपूर्णता प्राप्त करने से हर दिन 5.5 करोड़ घंटे से अधिक समय की बचत होगी, जो अन्यथा घरेलू जरूरतों के लिए पानी के संग्रह में खर्च होती है, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए।

ii. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह भी अनुमान लगाया है कि देश में सभी परिवारों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया रोगों के कारण होने वाली लगभग 400,000 मौतों को टाला जा सकता है जिससे बचाए गए जीवन के कारण लगभग 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) की बचत हो सकती है।

iii. नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. माइकल क्रेमर ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वच्छ जल के साथ सभी ग्रामीण परिवारों के लिए कवरेज के साथ जेजेएम के कार्यान्वयन से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर में लगभग 30% की कमी होने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि प्रतिवर्ष 1,36,000 जीवन बचाए जाते हैं।

iv. भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की भागीदारी में जेजेएम की रोजगार संभावना का अनुमान लगाया है। दोनों संस्थानों द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जेजेएम के कैपेक्स चरण के दौरान प्रत्यक्ष रोजगार के 59.9 लाख व्यक्ति-वर्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के 2.2 करोड़ व्यक्ति-वर्ष होंगे। इसके अलावा, मिशन के संचालन और रखरखाव से 13.3 लाख व्यक्ति-वर्ष प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है।

इसके अलावा, सृजित अवसंरचना की दीर्घावधिक सततता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान करने से पहले तृतीय पक्ष निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता सामग्री और गुणवत्ता निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, सेंसर आधारित आईओटी समाधान के माध्यम से गांवों में पानी की आपूर्ति की माप और निगरानी, वैधानिक प्रावधानों के अधीन लक्षित सुपुर्दगी के लिए घर के मुखिया के आधार को जोड़ना, सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग आदि का भी जेजेएम के तहत प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी लाने के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' और मोबाइल ऐप बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति उपलब्ध कराता है।

जेजेएम के तहत अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, एमपी/एमएलए-एलएडी निधि, जिला खनिज विकास कोष, सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि के सामंजस्य में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त विचार-विमर्श और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपूरिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाओं/सम्मेलनों/वेबिनारों का आयोजन, प्रशिक्षण, ज्ञान का आदान-प्रदान करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरों आदि सहित *पूरे देश में तेजी से जेजेएम की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए* हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका तथा जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और विद्यालयों में पाइपगत जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दिशानिर्देश साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

*****